2025: CGHC: 54786

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक 02/2016

आदेश सुरक्षित करने का दिनांक – 21.07.2025

आदेश पारित करने का दिनांक – 11.11.2025

1 – नगर पंचायत, राजिम, द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगर पंचायत राजिम, थाना राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़।

2 – जेठू कोशरे, आत्मज मुनिराम, आयु लगभग 30 वर्ष, राजिम,

थाना राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़।

3 – लाला साहू, आत्मज परसुराम, आयु लगभग 32 वर्ष, शिक्षा गारंटी स्कूल,

साहीसपारा, राजिम, थाना राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़।

4 – रमापति यादव, आत्मज पुनीत पार्षद, आयु लगभग 32 वर्ष,

नगर पालिक निगम राजिम, थाना राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़।

5 – भगवत लाल यदु, आत्मज रामप्रसाद, आयु लगभग 55 वर्ष, अध्यक्ष, किसान सेवा

समिति (अपंजीकृत) राजिम, थाना राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़।

6 – भुवनेश्वर लाल साहू, आत्मज अमर सिंह, आयु लगभग 65 वर्ष, राजिम,

थाना राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़।

7 – बिसाऊहा भोई, आत्मज खोरबहरा, आयु लगभग 52 वर्ष,

राजिम, थाना राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़।

8 – पुनीतराम निषाद, आत्मज फूलसिंह, आयु लगभग 50 वर्ष,

राजिम, थाना राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़।

----अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1 – श्रीमती ताराबाई, पति श्री शांतिलाल पारेख,

निवासी: महामाया मंदिर के पास, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

2 – श्री सतीश पारेख, आत्मज श्री शांतिलाल पारेख,

निवासी: महामाया मंदिर के पास, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3 – संजय पारेख, आत्मज श्री शांतिलाल पारेख,

निवासी: महामाया मंदिर के पास, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

4 – मोतीलाल जैन, आत्मज श्री घेवर चंद जैन,

निवासी: राजिम, तहसील राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़।

5 – छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, गरियाबंद, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़।

----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थीगण की ओर से: श्री बी.पी. गुप्ता एवं श्री विवेक वर्मा, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 4 की ओर से: श्री रविकर पटेल, अधिवक्ता।
राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 5 की ओर से: श्री कल्पेश रूपारेल, पैनल अधिवक्ता।

माननीय श्री न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास

सी.ए.वी. निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. यह द्वितीय अपील प्रतिवादीगण द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गरियाबंद, जिला गरियाबंद (छ.ग.) द्वारा सिविल अपील क्रमांक 14-A/2013 (श्रीमती ताराबाई एवं अन्य बनाम नगर पंचायत राजिम एवं अन्य) में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.02.2015 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया गया है और सिविल जज वर्ग–दो, राजिम, जिला गरियाबंद (छ.ग.) द्वारा सिविल वाद क्रमांक 63–A/2008 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.10.2013 को अपास्त किया गया है।

2. सुविधा की दृष्टि से, पक्षकारों को सिविल वाद क्रमांक 63–A/2008 में उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।

3. वर्तमान द्वितीय अपील को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.04.2025 के आदेश के माध्यम से विधि के निम्नलिखित सारभूत प्रश्नों पर सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया है:–

1. क्या विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय, विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को इस आधार पर खारिज करने हेतु अभिलिखित किए गए सकारण निष्कर्ष को उलटने में न्यायोचित था कि वादी अपना स्वत्व सिद्ध करने में विफल रहा है?

1. 2. क्या अपीलीय न्यायालय, नीलामकर्ता द्वारा वाद भूमि के नीलामी के माध्यम से विक्रय के संबंध में निष्कर्ष अभिलिखित करने में न्यायोचित था?

4. इस न्यायालय ने दिनांक 27.07.2025 को पक्षकारों को सुनने के पश्चात् एक अतिरिक्त विधि का सारभूत प्रश्न विरचित किया है, जो इस प्रकार है:–

क्या नगर पंचायत को नोटिस जारी किए बिना, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 319 में निहित प्रतिबंध के आलोक में वादी द्वारा दायर वाद पोषणीय था?

5. संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि वाद–पत्र के कथनों से परिलक्षित होते हैं, यह हैं कि वादीगण ने दिनांक 17.11.2003 को प्रतिवादी क्रमांक 1/नगर पंचायत, राजिम को महामाया मंदिर, राजिम के पास स्थित खसरा नंबर 47, क्षेत्रफल 0.29 एकड़ की आबादी भूमि (जिसे इसके पश्चात "वाद संपत्ति" के रूप में संदर्भित किया गया है) को अर्जित करने की कार्यवाही से रोकने और प्रतिवादी क्रमांक 1 को वादीगण को वाद संपत्ति से बेदखल करने से रोकने के लिए एक सिविल वाद दायर किया, जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अ) वाद संपत्ति उनके स्वामित्व अधिकार और कब्जे में है, क्योंकि पूर्व में केंद्र सरकार के डाक एवं तार विभाग ने वाद संपत्ति पर एक भवन का निर्माण किया था और उक्त विभाग द्वारा उसकी नीलामी की गई थी, जिसे एक अकरण, आत्मज मणिकलाल बंगानी ने डाक विभाग से दिनांक 25.03.1953 को 1675/– रुपये के विक्रय प्रतिफल पर क्रय किया था और बाद में उनके द्वारा दिनांक 28.02.1962 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से 500/– रुपये के विक्रय प्रतिफल पर वादीगण को बेच दिया गया था। तब से वे वाद संपत्ति के कब्जे में हैं।

(ब) वादीगण का यह भी मामला है कि उन्होंने वर्ष 2003 में वाद संपत्ति पर दीवार का निर्माण कर लिया था, जिसे प्रतिवादी क्रमांक 2, जो नगर पालिका परिषद राजिम के पार्षद हैं, द्वारा तोड़ दिया गया था। वादीगण का यह भी तर्क है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने व्यावसायिक परिसर के निर्माण हेतु उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए दिनांक 21.10.2003 को एक संकल्प पारित किया, जिसमें पार्षद ने आपत्ति जताई थी लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया, जिसके कारण वादीगण को प्रतिवादीगण को वाद संपत्ति अधिग्रहित करने से रोकने और उन्हें वाद संपत्ति से बेदखल करने से रोकने हेतु वाद दायर करना आवश्यक हुआ।

6. प्रतिवादी क्रमांक 1 से 9 ने लिखित कथन प्रस्तुत कर वाद–पत्र में लगाए गए अभिकथनों का खंडन किया है, जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि:–

(अ) वादीगण ने न तो डाक विभाग के ज्ञापन में वाद भूमि के संबंध में कोई विशिष्ट विवरण दिया है और न ही यह स्पष्ट किया है कि स्वर्गीय अस्करण को आधिपत्य किस प्रकार प्रदान किया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि वादीगण ने डाक विभाग के स्वत्व को दर्शाने वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, क्योंकि वाद संपत्ति डाक विभाग के स्वामित्व और स्वत्व में नहीं है।

(ब) यह भी तर्क दिया गया है कि वाद भूमि सरकारी आबादी भूमि है और राजस्व अभिलेख के अनुसार, यह निस्तार हेतु आरक्षित है, अतः इसकी रक्षा करना प्रतिवादी क्रमांक 1 का उत्तरदायित्व है। यह भी तर्क दिया गया है कि वादीगण का कोई विधिक आधिपत्य और स्वत्व नहीं है, वे अतिक्रामक हैं और उन्होंने प्रतिवादी क्रमांक 1 से बिना किसी प्राधिकार और अनुमति के दीवार का निर्माण किया है, जिसके फलस्वरूप उनके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। यह भी तर्क दिया गया है कि वादीगण ने वाद संपत्ति का अवमूल्यन किया है क्योंकि वाद संपत्ति का मूल्य 29 लाख रुपये है, अतः धन–संबंधी क्षेत्राधिकार के अभाव में इस न्यायालय को वाद का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. प्रतिवादी क्रमांक 10/छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रतिवादी के पक्ष का समर्थन करते हुए लिखित कथन प्रस्तुत किया है और वाद को खारिज करने की प्रार्थना की है। यह भी तर्क दिया गया है कि वाद भूमि एक सरकारी भूमि है और राजस्व अभिलेख में आबादी भूमि के रूप में दर्ज है, अतः वादीगण का वाद संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है।

8. विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर कुल छह वाद–बिंदु विरचित किए हैं, जो नीचे उद्धृत हैं:–

1. क्या, वादभूमि वादीगण के स्वत्व आधिपत्य की भूमि है ?
2. क्या, वादीगण को वादभूमि से प्रतिवादी क्रमांक 1 से 9 द्वारा बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है ?
3. यदि हां, तो क्या वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 1 से 9 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है?
4. क्या, वादीगण ने दावे का उचित मूल्यांकन कर न्यायशुल्क चस्पा किया है?
5. क्या, प्रस्तुत दावा इस न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार के बाहर है?
6. सहायता एवं व्यय?

9. वादीगण ने अपने मामले की पुष्टि हेतु वादी– संजय पारख (वा.सा.–1), पुखराज पारख (वा.सा.–2) एवं जोहतराम पटेल (वा.सा.–3) को परीक्षित किया है तथा दस्तावेज (प्रदर्श पी/1 से पी/37) प्रदर्शित किए हैं। प्रतिवादीगण ने अपने मामले की पुष्टि हेतु (चंद्रिका पटेल) प्र.सा.–1 को परीक्षित किया है तथा नगर पंचायत द्वारा पारित संकल्प (प्रदर्श डी/1) नामक दस्तावेज प्रदर्शित किया है।

10. संजय पारख (वा.सा.–1) ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के अंतर्गत शपथ–पत्र के माध्यम से अपनी मुख्य परीक्षा में उन तर्कों को दोहराया है जो उनके द्वारा वाद–पत्र में लिए गए थे। उक्त साक्षी से प्रतिवादीगण द्वारा विस्तृत प्रति–परीक्षा की गई, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि वाद संपत्ति की सीमाओं के संबंध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया है कि अस्करण ने भूमि मोतीलाल को बेची थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी/28 में यह उल्लेख किया गया है कि वाद संपत्ति आबादी भूमि है और उन्होंने यह कथन किया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि आबादी भूमि की देख–रेख कलेक्टर द्वारा की जाती है अथवा नहीं, तथा उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि आबादी भूमि सरकार के स्वामित्व में है। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी/35 में विक्रय की गई संपत्ति की कोई सीमा नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि वाद संपत्ति वर्ष 1958 में खरीदी गई थी और इस संबंध में कोई दस्तावेजीकरण किया गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने सीमांकन हेतु तहसीलदार को कोई आवेदन नहीं दिया है और सीमांकन रिपोर्ट प्रदर्श पी/26 के रूप में प्रदर्शित है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि रिपोर्ट प्रदर्श पी/26 एवं पी/27 प्रस्तुत करते समय पटवारी का कथन लिपिबद्ध नहीं किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. पुखराज पारख (वा.सा.–2) ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के अंतर्गत शपथ–पत्र के माध्यम से वादीगण के मामले का समर्थन किया है। इस साक्षी की प्रतिवादी क्रमांक 3 से 9 द्वारा प्रति–परीक्षा की गई, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि पूर्व में वाद संपत्ति पर डाकघर अस्तित्व में था जो कि एक सरकारी कार्यालय है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वाद संपत्ति ग्राम पंचायत, राजिम की है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान में वाद भूमि सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है या नहीं, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि डाकघर की नीलामी हुई थी या नहीं, उन्हें ज्ञात नहीं है। उन्होंने स्वेच्छा से कथन किया कि अस्करण ने इसे खरीदा था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि वाद भूमि को ग्राम पंचायत द्वारा बाजार एवं परिसर हेतु आरक्षित किया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि वर्तमान में वाद भूमि सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है।

12. जोहतराम पटेल (वा.सा.–3) ने स्वीकार किया है कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि वाद संपत्ति शांतिलाल पारख और उनके परिवार के नाम पर दर्ज है अथवा नहीं, और उन्होंने यह भी कथन किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि आबादी भूमि सरकारी भूमि होती है या नहीं।

13. चंद्रिका पटेल (प्र.सा.–1) ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के अधीन अपने शपथ–पत्र में यह कथन किया है कि वाद संपत्ति सरकारी संपत्ति है और इसका प्रबंधन कलेक्टर द्वारा किया जा रहा है, अतः वाद संपत्ति की देख–रेख नगर पंचायत द्वारा की जाती है। उन्होंने यह भी कहा है कि वाद भूमि सरकार के कब्जे में है और वादीगण वाद भूमि के कब्जे में नहीं हैं। दिनांक 21.10.2003 के संकल्प के अनुसार नगर पंचायत द्वारा लोक हित में वाद संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है। वादीगण द्वारा इस साक्षी की प्रति–परीक्षा की गई जिसमें उसने यह कथन किया कि उसे जानकारी है कि वाद भूमि नगर पंचायत, राजिम की है।

14. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात, दिनांक 18.10.2012 के निर्णय एवं डिक्री के माध्यम से वादीगण द्वारा दायर वाद को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय ने वाद–बिंदु क्रमांक 1 का निर्णय करते समय यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि वादीगण ने दिनांक 11.05.2013 की रसीद (प्रदर्श पी/33) प्रस्तुत की है जो यह दर्शाती है कि अस्करण ने नीलामी के लिए 1250/– रुपये का भुगतान किया था और प्रदर्श पी/32 से यह परिलक्षित होता है कि अंतर राशि के भुगतान के बाद भूमि का कब्जा दे दिया गया है, किंतु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि नीलामी में किस खसरा नंबर की भूमि बेची गई है और न ही इससे यह स्पष्ट होता है कि वाद संपत्ति का कब्जा अस्करण को दिया गया था या नहीं। वादीगण ने 1956–57 का खसरा पंचशाला प्रस्तुत किया है जिसके संबंधित कॉलम में केवल यह उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि बंजर भूमि है जिसे डाक विभाग द्वारा अस्करण को बेचा गया है। यह दस्तावेज भी वाद संपत्ति पर अस्करण के स्वत्व और कब्जे को सिद्ध नहीं करता है। विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष भी अभिलिखित किया है कि वादीगण ने इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए कोई साक्षी परीक्षित नहीं किया है और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है कि वर्ष 1953 से 28.02.1962 तक उक्त अस्करण का वाद संपत्ति पर कब्जा या स्वत्व था। वादी साक्षी वा.सा.–1 ने भी कंडिका 18 में यह स्वीकार किया है कि उसने वाद संपत्ति पर अस्करण के स्वत्व और कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त साक्षी ने कंडिका 26 में यह भी स्वीकार किया है कि उसके पिता का या उसका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष भी अभिलिखित किया है कि वादीगण ने हजारा बेगम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के विक्रय–विलेख (प्रदर्श पी/37) को प्रदर्शित करते हुए यह तर्क दिया कि संपत्ति की सीमा के विवरण में पश्चिम दिशा में वादीगण की संपत्ति का उल्लेख किया गया है, जो वादीगण द्वारा वाद संपत्ति पर अपने स्वत्व या कब्जे को प्रदर्शित करने हेतु प्रस्तुत किसी दस्तावेज या साक्ष्य के अभाव में, वादीगण को वाद संपत्ति के संबंध में कोई स्वत्व प्रदान नहीं करता है।

15. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादीगण ने प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 05.02.2015 के निर्णय एवं डिक्री के माध्यम से स्वीकार कर लिया। अपीलीय न्यायालय ने निर्णय के कंडिका 21 में वाद–बिंदु क्रमांक 1 के संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को उलटते हुए यह कारण बताया है कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अस्करण ने नीलामी के माध्यम से इस संपत्ति के अतिरिक्त कोई अन्य संपत्ति खरीदी थी, तद्नुसार निष्कर्ष को उलट दिया और वाद–बिंदु क्रमांक 1 का उत्तर वादीगण के पक्ष में यह धारित करते हुए दिया कि वाद संपत्ति वादीगण के स्वत्व और कब्जे में है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होकर, प्रतिवादी क्रमांक 1 से 8 ने इस न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत वर्तमान द्वितीय अपील प्रस्तुत की है, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2024 को उपरोक्त अनुसार सारभूत प्रश्न एवं अतिरिक्त सारभूत विधि प्रश्न पर स्वीकार किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि न तो अस्करण और न ही वादीगण के स्वत्व या आधिपत्य का कोई वैध प्रमाण उपलब्ध है तथा वाद संपत्ति सदैव सरकारी भूमि बनी रही। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने, बिना किसी पर्याप्त कारण बताए, वाद–बिंदु क्रमांक 1 के संबंध में निष्कर्ष को उलट दिया है; अतः यह निष्कर्ष विपरीत,साक्ष्य के प्रतिकूल है और इस द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने योग्य है। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद–बिंदु क्रमांक 2, अर्थात् "क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 से 9 ने वादीगण को वाद संपत्ति से बेदखल करने की कार्यवाही शुरू की है", का निर्णय करते समय जो निष्कर्ष दिया था, उसे उलटने के लिए अपीलीय न्यायालय ने प्रदर्श पी–25, पी–34 को आधार बनाया है, जो नगर पंचायत द्वारा जारी संपत्ति कर की रसीदें हैं। उन्होंने इस तथ्य पर भी विचार किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1/नगर पंचायत द्वारा दिनांक 21.10.2003 को लिए गए निर्णय के पश्चात, प्रतिवादी क्रमांक 1 वाद संपत्ति पर दैनिक बाजार संचालित कर रहा है। इसमें यह भी अभिलिखित किया गया है कि प्रदर्श पी/35 और पी/26, पी–27 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 से 9 वादीगण को वाद संपत्ति से बेदखल करने का आशय रखते हैं।

तदनुसार, उन्होंने वाद–बिंदु क्रमांक 2 पर निष्कर्ष को उलट दिया है। यह निष्कर्ष भी विधि के प्रतिकूल है क्योंकि जब तक विचारण न्यायालय द्वारा वाद–बिंदु क्रमांक 1 के संबंध में दिए गए सकारण निष्कर्ष को नहीं उलट दिया जाता, तब तक वाद–बिंदु क्रमांक 2 के निष्कर्ष को नहीं पलटा जा सकता। इस प्रकार, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष विपरीतता एवं अवैधता से ग्रसित है और इस न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने योग्य है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता के नियम 37 से 47 की आवश्यकता के अनुसार अस्करण या वादीगण के पक्ष में कोई विक्रय प्रमाण–पत्र या नामांतरण नहीं हुआ था, अतः कोई वैध नीलामी विक्रय संपन्न नहीं हुआ। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 55 के अनुसार, अस्करण उस संपत्ति को अंतरित नहीं कर सकता था जिसका वह कभी स्वामी नहीं रहा और न ही जिस पर उसका कभी आधिपत्य रहा।

17. उन्होंने आगे यह निवेदन किया कि वादीगण साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 से 103 की अपेक्षानुसार वाद संपत्ति पर स्वत्व या आधिपत्य सिद्ध करने में विफल रहे हैं, और वादीगण द्वारा वाद दायर करने से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 या छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 319 के तहत कोई नोटिस तामील नहीं किया गया था, अतः केवल इसी आधार पर वाद खारिज होने योग्य है। वाद केवल व्यादेश के लिए होने के कारण, घोषणा या आधिपत्य की प्रार्थना के बिना पोषणीय नहीं था; इसलिए विचारण न्यायालय ने उचित रूप से वाद को खारिज किया था और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उलटने में त्रुटि की है। अतः, उन्होंने प्रार्थना की कि अपील स्वीकार की जाए, वादी के वाद को सव्यय अपास्त किया जाए और इस न्यायालय द्वारा विरचित विधि के सारभूत प्रश्नों का उत्तर अपीलार्थीगण के पक्ष में दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 4 के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुए यह निवेदन किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 319 का अनुपालन न करना मात्र एक प्रक्रियात्मक त्रुटि है और यह सिविल न्यायालय की अधिकारिता को समाप्त नहीं करती है। अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय या प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष कभी भी ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई, इसलिए इसे आचरण और विबंध द्वारा अधित्यक्त माना जाना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि विवादित भूमि के संबंध में पूर्व नोटिस और सूचना वास्तव में मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, राजिम को दी गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थीगण ने कार्यवाही के सभी चरणों में सक्रिय रूप से भाग लिया है और उन्हें कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पहुँचा है। उन्होंने यह भी कहा कि

विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्यों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सही ढंग से परिशीलन करने के पश्चात आक्षेपित निर्णय और डिक्री पारित की है, जो न तो विपरीतता और न ही अवैधता से ग्रसित है जिससे इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। उन्होंने आगे यह निवेदन किया कि विधि की यह स्थापित स्थिति है कि द्वितीय अपील में, तथ्यों के निष्कर्ष पर उच्च न्यायालय की हस्तक्षेप करने की शक्ति बहुत सीमित है, जब तक कि अपीलार्थी यह प्रदर्शित करने में सक्षम न हो कि वहां प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से ऐसी विपरीतता या अवैधता है जो मामले के मूल आधार को प्रभावित करती है, अतः इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हस्तक्षेप की ऐसी कोई स्थिति नहीं है और उन्होंने निवेदन किया कि विधि के सारभूत प्रश्न का उत्तर अपीलार्थीगण के विरुद्ध नकारात्मक दिया जाए और अपील को खारिज करने की प्रार्थना की। अपने तर्कों की पुष्टि के लिए, उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संजय शर्मा बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड व अन्य [एसएलपी (सी) क्रमांक 330/2017], माहनूर फातिमा व अन्य बनाम मेसर्स विश्वेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड व अन्य [एसएलपी (सी) 1866/2024], ओडिशा राज्य बनाम भूपेंद्र कुमार बोस [एआईआर 1962 एससी 945], घनश्याम दास बनाम डोमिनियन ऑफ इंडिया [एआईआर 1984 एससी 1004] और शक्ति ट्यूब्स लिमिटेड बनाम बिहार राज्य [एआईआर 2009 एससी 2299]के मामलों में दिए गए निर्णयों का अवलंब लिया है।

19. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विधि के सारभूत प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 पर चर्चा एवं निष्कर्ष

20. चूँकि दोनों बिंदु अंतर्संबंधित हैं, अतः साक्ष्य, सामग्री और अभिलेखों का सामूहिक रूप से मूल्यांकन करते हुए इनका निर्णय किया जा रहा है, जिनका इस न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती पैराग्राफों में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद–बिंदु क्रमांक 1 का निर्णय करते समय यह धारित किया है कि उस संपत्ति का कोई विवरण नहीं है जिसे भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा नीलाम किया गया था, और यहाँ तक कि प्रदर्श पी/32 एवं पी/33 के अवलोकन से भी यह सिद्ध नहीं होता है कि किस संपत्ति के संबंध में अस्करण को आधिपत्य दिया गया है। साक्ष्यों का आगे मूल्यांकन करते हुए विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष भी अभिलिखित किया है कि वा.सा.–1 ने स्वीकार किया है कि वाद संपत्ति 'आबादी' भूमि है, अतः वादीगण के लिए यह स्थापित करना और भी आवश्यक था कि भू–राजस्व संहिता के तहत परिभाषित आबादी भूमि, जो कि राज्य सरकार की भूमि होती है, केंद्र सरकार के

स्वामित्व में कैसे हो सकती है। वादीगण द्वारा ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी। 'आबादी' शब्द को भू–राजस्व संहिता, 1959 में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:–

> "'आबादी" से तात्पर्य किसी गैर–नगरीय क्षेत्र के किसी गांव में समय–समय पर उसके निवासियों के निवास के लिए या उसके आनुषंगिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित क्षेत्र से है, और इस अभिव्यक्ति के किसी भी अन्य स्थानीय समकक्ष जैसे 'ग्राम स्थल' या 'गांवस्थान' का भी तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;"

21. विचारण न्यायालय ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया है कि अस्करण किस प्रकार वाद संपत्ति का स्वत्वधारी बना, यह सिद्ध नहीं है। सामग्री, साक्ष्य और विधि के मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के सकारण निष्कर्ष को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना कोई ठोस कारण बताए, अत्यंत तुच्छ आधार पर उलट दिया गया है; अतः सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के प्रावधानों के दृष्टिगत, द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान, यह न्यायालय उन निष्कर्षों में भली–भांति हस्तक्षेप कर सकता है जो विपरीतता, विवेक का प्रयोग न करने से ग्रसित हैं और जो किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बालसुब्रमण्यम एवं अन्य बनाम एम. अरोग्यसामी (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से [(2021) 12 एस सी सी 529] के मामले में, जहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के संबंध में विधि का परीक्षण किया है, निम्नानुसार धारित किया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "13. विधिक स्थिति की पृष्ठभूमि में और इस स्थिति की पुन: पुष्टि करते हुए कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत द्वितीय अपील में साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने या विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्यों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने की बहुत सीमित संभावना है, हमारे लिए यह संज्ञान लेना आवश्यक है कि क्या वर्तमान तथ्यों में उच्च न्यायालय ने उक्त स्थापित स्थिति का उल्लंघन किया है। उस सीमा तक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक पहलुओं और साक्ष्यों को ऊपर संक्षेप में पहले ही नोट किया जा चुका है। इसके अलावा, मामले के वर्तमान तथ्यों में जो विशिष्ट है, वह यह है कि विद्वान मुंसिफ (विचारण न्यायालय) और विद्वान जिला न्यायाधीश (प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा दिए गए निष्कर्ष परस्पर भिन्न हैं। विचारण न्यायालय ने उसके समक्ष उपलब्ध अभिवचनों और साक्ष्यों

का संज्ञान लेते हुए यह राय व्यक्त की थी कि वादी अनन्य आधिपत्य सिद्ध करने में विफल रहा है और इस आलोक में यह धारित किया कि शाश्वत व्यादेश की पात्रता स्थापित नहीं हुई है। इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय विचारण न्यायालय ने वादी द्वारा दावा किए गए अधिकार का संज्ञान लिया था और उस पृष्ठभूमि में इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि वा.सा.–1 के रूप में वादी के कथन के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य नहीं था। दस्तावेजी साक्ष्य पर यह इंगित किया गया था कि प्रदर्श ए–5 श्रृंखला की किस्त रसीदें केवल इस आधार पर आधिपत्य स्थापित नहीं करेंगी कि पट्टा अभिलेखों में बाद में नाम प्रतिस्थापित कर दिया गया है और किस्त का भुगतान कर दिया गया है।"

"14. ऐसे निष्कर्ष के विपरीत, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वास्तव में पूरी तरह से किस्त रसीदों पर अत्यधिक भरोसा किया है, जिसके कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि किस्त का निरंतर भुगतान यह इंगित करेगा कि वादी संपत्ति के आधिपत्य में भी था। जब सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष तथ्य पर ऐसे भिन्न निष्कर्ष उपलब्ध थे, यद्यपि साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन अनुज्ञेय नहीं था, सिवाय इसके कि जब वह विधि के विपरीत हो, लेकिन उच्च न्यायालय के लिए यह निश्चित रूप से खुला था कि वह अभिवचित मामले, प्रस्तुत साक्ष्य और साथ ही दोनों न्यायालयों द्वारा दिए गए निष्कर्षों का संज्ञान ले, जो एक–दूसरे से भिन्न थे, और नीचे के न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोणों में से एक को अनुमोदित किया जाना आवश्यक था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपरोक्त के आलोक में, यद्यपि अपीलार्थी के अधिवक्ता अपने इस तर्क में तकनीकी रूप से सही हो सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने धारा 100, व्ययवहार प्रक्रिया संहिता के तहत अपने द्वारा विरचित विधि के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर न देकर त्रुटि की है, फिर भी उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के भीतर यह निर्धारित करने के लिए सक्षम था कि क्या नीचे के न्यायालयों में से किसी एक द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन विधि के विपरीत था। विचारणीय विधि का प्रश्न अमूर्त रूप में उत्पन्न नहीं होगा बल्कि सभी मामलों में उस मामले के विशिष्ट तथ्यों से उभरेगा और इसका कोई एक अनम्य सूत्र नहीं हो सकता। इसलिए, केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय विधि के प्रश्न को उठाने और निष्कर्ष निकालने के लिए

मामले के कुछ तथ्यात्मक पहलुओं का संदर्भ देता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि तथ्यात्मक पहलू और साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, तथ्यों के उसी समुच्चय पर नीचे के न्यायालयों के भिन्न दृष्टिकोण उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध थे। विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से, जैसा कि उल्लेखित किया गया है, तर्कों की प्रकृति से यह प्रकट होगा कि वादी ने यह तर्क देने के अलावा कि वाद सूची की संपत्ति का पिछले 40 वर्षों से किस्त का भुगतान करके उपभोग किया जा रहा था, वास्तव में उस तरीके का उल्लेख नहीं किया है जिससे ऐसा अधिकार प्रोद्भूत हुआ हो ताकि भौतिक आधिपत्य में रहने का कोई अचुनौतीपूर्ण अधिकार सुझाया या इंगित किया जा सके। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने राहत के दावे के वादी के अधिकार का खंडन करते हुए उस तरीके का विवरण दिया था जिससे संपत्ति न्यायगत हुई थी और वह अधिकार जिसका प्रतिवादी द्वारा दावा किया जा रहा है। यह भी तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी क्रमांक 1 उस संपत्ति पर स्थित एक फूस के घर (कच्चे मकान) में रह रहा है। इसी आलोक में, विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा किए गए प्रकथनों और वादी द्वारा साक्ष्य के अभाव को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि वादी के दावे के अनुसार आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यह कि प्रतिवादी द्वारा वादी के दावे पर विवाद करने के बावजूद वादी ने घोषणा की राहत नहीं माँगी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वत्व और आधिपत्य के संबंध में बिंदु का निर्णय करते समय यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि वादीगण द्वारा स्वत्व और आधिपत्य स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, क्योंकि कर रसीद जो कि एक राजस्व अभिलेख है, वाद संपत्ति पर वादीगण को स्वत्व प्रदान नहीं करती है। यहाँ तक कि वादी ने ऐसी कोई सामग्री भी प्रस्तुत नहीं की है कि राज्य सरकार की भूमि जो कि एक आबादी भूमि है जिस पर डाकघर निर्मित किया गया था, डाक विभाग द्वारा नीलामी में कैसे बेची जा सकती है। यहाँ तक कि वादी ने नीलामी आयोजित किए जाने के संबंध में कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है, जैसे कि नीलामी की सूचना, सफल बोलीदाता के पक्ष में जारी विक्रय प्रमाण–पत्र जिसके माध्यम से अस्करण द्वारा नीलामी में संपत्ति खरीदी गई थी। यह निष्कर्ष न तो विधि के विपरीत था और न ही साक्ष्य के प्रतिकूल था, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रसीद प्रदर्श पी/33 पर भरोसा करते हुए यांत्रिक रूप से उलट दिया है, जो ऐसा दस्तावेज नहीं है जो वादी का वाद संपत्ति पर

स्वत्व प्रदान कर सके, बल्कि वे कुछ राशि जमा करने की रसीदें हैं जिनसे यह स्पष्ट नहीं होता कि यह रसीद वाद संपत्ति से संबंधित है। इसी प्रकार प्रदर्श पी/32 डाक अधीक्षक द्वारा रायपुर के डिप्टी कमिश्नर को दिनांक 14.06.1958 को लिखा गया पत्र है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि अस्करण द्वारा दिनांक 25.03.1953 को नीलामी के माध्यम से कौन सी संपत्ति खरीदी गई है क्योंकि उस भूमि का कोई विवरण नहीं है जो नीलामी की विषय–वस्तु है। वादीगण के पास उपलब्ध होने वाला सर्वोत्तम साक्ष्य वे दस्तावेज होते जो नीलामी से संबंधित थे जिनमें संपत्ति का विवरण उल्लेखित होता। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः, विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण के विरुद्ध उचित रूप से प्रतिकूल उपधारणा की है, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए या निष्कर्ष अभिलिखित किए उलट दिया है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय का निष्कर्ष उन महत्वपूर्ण साक्ष्यों को परीक्षित न करने के संबंध में प्रतिकूल उपधारणा की विधि के अनुरूप है जो इस बिंदु पर प्रकाश डाल सकते थे, और इस विधि के भी अनुरूप है कि कर/राजस्व अभिलेख कोई स्वत्व प्रदान नहीं करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने चौडम्मा (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम वेंकटप्पा (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से [(2025) आईएनएससी 1038] के मामले में यह धारित किया है कि:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"राजस्व अभिलेख स्वत्व का प्रमाण नहीं हैं।"

49. किसी भी ठोस खंडन के अभाव में, प्रतिवादीगण राजस्व अभिलेखों की शरण लेते हैं। तथापि, राजस्व अभिलेखों (प्रदर्श पी–1 से पी–6) पर उनकी निर्भरता का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ऐसे अभिलेखों का केवल उपधारणात्मक मूल्य होता है और वे स्वत्व प्रदान नहीं करते हैं। इस न्यायालय ने सूरज भान और अन्य बनाम वित्तीय आयुक्त और अन्य [(2007) 6 एससीसी 186] में इस प्रकार अवलोकन किया था:

> "9. ... यह सुस्थापित है कि राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि उस व्यक्ति को स्वत्व प्रदान नहीं करती जिसका नाम अधिकार–अभिलेख में दर्ज है। यह स्थापित विधि है कि राजस्व अभिलेखों या जमाबंदी में प्रविष्टियों का केवल "वित्तीय प्रयोजन" होता है, अर्थात् भूमि राजस्व का भुगतान, और ऐसी प्रविष्टियों के आधार पर कोई स्वामित्व प्रदान नहीं किया जाता है। जहाँ तक संपत्ति के स्वत्व का

> प्रश्न है, इसका निर्णय केवल एक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है (देखें जट्टू राम बनाम हाकम सिंह, (1993) 4 SCC 403)।"

पक्षकारों की कटघरे में उपस्थित होने में विफलता: परिणाम

50. दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से अपने दावों को पुष्ट करने में प्रतिवादीगण की विफलता, एक अधिक परिणामी चूक के कारण ओझल हो जाती है। ऐसे मामले में जहाँ मुख्य विवाद उन मामलों पर केंद्रित है जो प्रतिवादी के अनन्य व्यक्तिगत ज्ञान के भीतर हैं, प्रतिवादी क्रमांक 1 की चुप्पी और कटघरे से उनकी अनुपस्थिति कोई प्रक्रियात्मक चूक नहीं, बल्कि न्यायिक संवीक्षा से एक सुनियोजित वापसी है।

54. यह सिद्धांत न तो नवीन है और न ही अनिश्चित। इस न्यायालय ने विद्याधर बनाम मणिकराव और अन्य [(1999) 3 एससीसी 573] में इस प्रकार धारित किया था:

> "17. जहाँ वाद का कोई पक्षकार कटघरे में उपस्थित नहीं होता और शपथ पर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करता तथा स्वयं को दूसरे पक्ष द्वारा प्रति-परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं करता है, वहाँ यह उपधारणा उत्पन्न होगी कि उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया मामला सही नहीं है...।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

55. वर्तमान मामला उपरोक्त सिद्धांत का एक प्रबल आह्वान है। प्रतिवादी क्रमांक 1, विचारण के दौरान न्यायालय में भौतिक रूप से उपस्थित होने के बावजूद, वादीगण के कथनों—जो विवाद के मूल आधार पर प्रहार करते हैं—का खंडन करने के लिए कटघरे में आने से कतराती रही। उसकी कथित अक्षमता के समर्थन में ठोस चिकित्सीय साक्ष्य के अभाव में, कटघरे से उसकी अनुपस्थिति उस पर निहित साक्ष्य के भार के जानबूझकर परिहार का गठन करती है।

56. वर्तमान तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(छ) के तहत प्रतिकूल उपधारणा अपरिहार्य है।

57. यह न्यायालय इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने, विवाद का केंद्र होने के बावजूद, न केवल कटघरे में प्रवेश करने से परहेज किया, बल्कि शारीरिक अक्षमता का तर्क देने वालों के लिए उपलब्ध वैधानिक

उपचार को भी जानबूझकर दरकिनार कर दिया।

58. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XXVI, नियम 1, आयु या अशक्तता के मामलों में कमीशन के माध्यम से साक्ष्य अभिलिखित करने की अनुमति देता है। फिर भी, उक्त प्रावधान का आह्वान करते हुए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया, और न ही इसका उपयोग न करने के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया गया। एक ऐसे विवाद में जहाँ आधारभूत तथ्य पूर्णतः उसके अनन्य ज्ञान के भीतर हैं, ऐसी चूक महत्वपूर्ण महत्व रखती है। उसकी कथित स्थिति के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय के अस्तित्व के बावजूद साक्ष्य देने से उसका इनकार, अनभिज्ञता मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसके बजाय, यह साक्ष्य प्रक्रिया से सचेत बचाव को दर्शाता है, जिसे सुलभ कानूनी विकल्प का लाभ उठाने में उसकी अस्पष्ट विफलता के साथ जोड़कर देखने पर, यह कोई तटस्थ कृत्य नहीं रह जाता। यह न्यायिक संवीक्षा से जानबूझकर स्वयं को बचाने का गठन करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

59. कानून का न्यायालय उस अध्ययनशील चुप्पी को शरण नहीं दे सकता जहाँ प्रकटीकरण का कर्तव्य मौजूद हो। वादीगण ने अपने दावे को वा.सा.–2 (हनुमंतप्पा) के नपे–तुले और अडिग साक्ष्य पर टिकाया, जो व्यक्तिगत ज्ञान और दीर्घकालिक परिचय पर आधारित वृत्तांत था, जो प्रति–परीक्षा की कठोरता पर खरा उतरा। उसका साक्ष्य, जो अविचलित और सुसंगत रहा, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वंशावली तालिका से और अधिक संपुष्ट हुआ। अतः, यह स्थापित होता है कि वादीगण ने कानून द्वारा उन पर अधिरोपित साक्ष्य के भार का निर्वहन कर दिया है। इसके विपरीत, प्रतिवादीगण ने, निर्णायक सामग्री या स्पष्टवादिता से रहित होकर, केवल इनकार का सहारा लिया। जब संभावनाओं की प्रबलता की कसौटी पर मापा जाता है, तो तराजू स्पष्ट रूप से वादीगण के पक्ष में झुक जाता है।"

23. विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मामले के इन पहलुओं पर विचार किए बिना विचारण न्यायालय के सकारण निष्कर्ष को यांत्रिक रूप से उलट दिया है, जो निश्चित रूप से इस द्वितीय अपील में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने योग्य है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बालसुब्रमण्यम (पूर्वोक्त) के मामले में धारित किया गया है।

24. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद को खारिज करने के संबंध में अभिलिखित किए गए सकारण निष्कर्ष को विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि

के विपरीत निष्कर्ष के आधार पर उलट दिया गया है, जो विधि के प्रतिकूल है, अतः सारभूत प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 अपीलार्थीगण के पक्ष में और प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध उत्तर दिए जाने योग्य हैं। तदनुसार, सारभूत प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 का उत्तर वादीगण के विरुद्ध और प्रतिवादी क्रमांक 1 से 9, अर्थात् अपीलार्थीगण के पक्ष में दिया जाता है।

<u>अतिरिक्त विधि के सारभूत प्रश्न पर चर्चा एवं निष्कर्ष</u>

25. इस बिंदु के मूल्यांकन हेतु, इस न्यायालय के लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 319 को उद्धृत करना समीचीन है, जो इस प्रकार है:–

> "**धारा 319 – सूचना के अभाव में वाद का वर्जन।–** (1) किसी परिषद या उसके किसी पार्षद, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध या ऐसी किसी परिषद, पार्षद, अधिकारी या सेवक के निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध, इस अधिनियम के अधीन किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के लिए तब तक कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा, जब तक कि वाद हेतुक , प्रस्तावित वादी का नाम और निवास स्थान तथा उस अनुतोष का, जिसका वह दावा करता है, विवरण देते हुए एक लिखित सूचना, परिषद की दशा में उसके कार्यालय में परिदत्त न कर दी गई हो या छोड़ न दी गई हो, और ऐसे किसी सदस्य, अधिकारी, सेवक या व्यक्ति की दशा में उसे परिदत्त न कर दी गई हो या उसके सामान्य निवास स्थान पर न छोड़ दी गई हो, और उस सूचना के दिए जाने के पश्चात दो माह की अवधि समाप्त न हो गई हो; तथा वाद–पत्र में यह कथन होगा कि ऐसी सूचना इस प्रकार परिदत्त कर दी गई है या छोड़ दी गई है।
>
> (2) प्रत्येक ऐसा वाद तब तक खारिज कर दिया जाएगा जब तक कि वह कथित वाद हेतुक के प्रोद्भूत होने की तिथि से आठ माह के भीतर संस्थित न किया गया हो।
>
> (3) इस धारा की कोई भी बात [विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1877 (1877 का 1)] [अब विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963] की धारा 54 के अधीन संस्थित किसी वाद पर लागू नहीं मानी जाएगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. उपरोक्त धारा के प्रावधानों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि वाद दायर करने से पूर्व वादीगण को सूचना (नोटिस) तामील करनी चाहिए थी, किंतु वर्तमान मामले में वादीगण द्वारा प्रतिवादी

क्रमांक 1 को कोई सूचना नहीं दी गई है। हालाँकि, अपीलार्थीगण द्वारा यह आपत्ति न तो विचारण न्यायालय के समक्ष और न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष उठाई गई थी, बल्कि अपीलार्थीगण ने बिना किसी आपत्ति या आरक्षण के वाद की कार्यवाही में भाग लिया है और उन्हें कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पहुँचा है क्योंकि वादीगण द्वारा कोई अस्थायी व्यादेश नहीं माँगा गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पायोनियर बिल्डर्स [(2006) 12 एससीसी 119] के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के प्रावधानों का परीक्षण किया है, जो नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 319 के समरूपी है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार धारित किया है:–

> "18. उपर्युक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधीनस्थ न्यायाधीश ने दिनांक 2 फरवरी, 1993 के आदेश के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला कि "चाही गई राहत से इनकार करने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं था"। यद्यपि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चौधरी के इस तर्क में कुछ दम हो सकता है कि सूचना की अनिवार्यता से छूट देने के आवेदन को स्वीकार करने वाला आदेश संक्षिप्त/अस्पष्ट है, लेकिन तथ्य यह है कि प्रतिवादी राज्य को सुनने के पश्चात आवेदन स्वीकार करते हुए न्यायाधीश ने यह राय व्यक्त की है किं वाद एक अत्यावश्यक एव अविलंब आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से है। यदि न्यायालय का समाधान ठेकेदार के विरुद्ध होता, तो न्यायालय धारा 80 की उप–धारा (1) की शर्तों के अनुसार त्रुटि सुधार के उपरांत पुन: प्रस्तुतीकरण हेतु ठेकेदार को वाद–पत्र लौटाने के लिए बाध्य था। यद्यपि हम उस तरीके का अनुमोदन नहीं करते हैं जिस प्रकार उपर्युक्त आदेश दिया गया है और अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा अनुमति प्रदान की गई है, किंतु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदन के अपने उत्तर में राज्य ने आवेदन की पोषणीयता के संबंध में इस आधार पर कोई विशिष्ट आपत्ति नहीं उठाई थी कि किसी अत्यावश्यक एवं अविलंब राहत की न तो प्रार्थना की गई थी और न ही ऐसी राहत दी जा सकती थी, जैसा कि अब हमारे समक्ष तर्क दिया गया है, हमारी यह राय है कि विशिष्ट तथ्यों और दोनों पक्षकारों के आचरण को देखते हुए यह ऐसा उपयुक्त मामला नहीं है जहाँ मामले को पुनर्विचार हेतु अधीनस्थ न्यायाधीश के पास प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए। हमें यह धारित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने में कठिनाई हो रही है कि व्ययवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80(2) के तहत ठेकेदार के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश उनके क्षेत्राधिकार से बाहर था। तदनुसार, हम मामले के इस पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं। उच्च न्यायालय ने यह धारित किया है कि मूल कार्यवाही में भाग लेने के पश्चात, प्रारंभिक अवसर पर ही त्रुटि का अधित्याग कर देने के कारण, अब राज्य के लिए वाद की पोषणीयता के संबंध में नया मुद्दा उठाना संभव नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा है कि व्ययवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत सूचना जारी न किए जाने के बारे में पूरी तरह से जानते हुए भी राज्य ने वाद में दायर लिखित कथन या अतिरिक्त लिखित कथन में ऐसा कोई तर्क नहीं उठाया था और इसलिए, यह माना जाएगा कि उसने अपनी आपत्ति का अधित्याग कर दिया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वास्तव में अधित्याग हुआ है या नहीं, यह प्रश्न अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है और यदि आपत्ति उठाई जाती है तो न्यायालय द्वारा इसका विचारण किया जाना चाहिए, जो कि जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, यहाँ की स्थिति नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. उपरोक्त विधिक स्थिति के आलोक में और नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 319 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय द्वारा विरचित अतिरिक्त विधि के सारभूत प्रश्न का उत्तर अपीलार्थीगण/प्रतिवादी क्रमांक 1 से 9 के विरुद्ध और वादीगण के पक्ष में दिया जाता है, और यह धारित किया जाता है कि सूचना जारी किए बिना वादीगण द्वारा दायर वाद पूरी तरह से पोषणीय था।

28. चूँकि सारभूत प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 का उत्तर वादीगण के विरुद्ध और प्रतिवादी क्रमांक 1 से 9 के पक्ष में दिया गया है, अतः अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गरियाबंद, जिला गरियाबंद (छ.ग.) द्वारा सिविल अपील क्रमांक 14–A/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.02.2015 को अपास्त किया जाता है और सिविल जज वर्ग–दो, राजिम, जिला गरियाबंद (छ.ग.) द्वारा सिविल वाद क्रमांक 63–A/2008 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.10.2013 को, वादीगण द्वारा दायर वाद को खारिज करते हुए, पुनर्स्थापित किया जाता है।

29. तदनुसार, वर्तमान द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है। तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

सही /–

(नरेंद्र कुमार व्यास)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur